(50)

R. 5120-दो/16

न्यायालय श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय रीवा, जिलारीवा, म०प्र०

1- रामेश्वर तनय मलहर साकेत उम्र 65 वर्ष,

2- रामसखा साकेत तनय श्री बैजनाथ साकेत उम्र 39 वर्ष,

3- रामदीन तनय श्री बैजनाथ साकेत उम्र 35 वर्ष,

4- रामभजन तनय बैजनाथ साकेत उम्र 30 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम बीड़ा बाजार टोला, तहसील सेमरिया, जिला रीवा, म०प्र० - —— आवेदकगण

बनाम

जवाहर सिंह तनय श्री जयकरण सिंह निवासी ग्राम बीड़ा भगड़ाटोला, तह० सेमरिया, जिलारीवा, म०प्र० - —— अनावेदक

निगरानी विरुद्ध कार्यवाही नक्शा तरमीम बाबत आराजी नं० 152/5/1 स्थित ग्राम गोदहा, तहसील सेमरिया, द्वारा हल्कापटवारी व राजस्व निरीक्षक सर्किल शाहपुर, तह० सेमरि[illegible] दिनांक 23.2011,

==

18/2/16

No-68
18/2/16

निगरानी बाबत प्राप्त किया
4-3-16

श्री शिवराज सिंह एड० द्वारा पेश 4.3.16
4-3-16

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि नक्शा तरमीम जो हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक सर्किल शाहपुर, तहसील सेमरिया द्वारा निगरानीकर्तागण के कब्जे दखल की भूमि नं० 151/5/1 स्थित ग्राम बीड़ा मे निगरानीकर्तागण के चोरी छिपे किसी भी प्रकार से लिखित या गैरसूचित किए बिना किसी प्रकरण व आदेश के कानून

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.5120–II/16 जिला–रीवा

रामेश्वर साकेत/जवाहर सिंह

(1)	(2)	(3)
21.03.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	